प्र.सं. 23/2020 अन्तर्गत 251ए आरटीएक्ट
पुरखाराम बनाम कृष्णा देवी आदि
जीसीएमएस : 2020/00280

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
15.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. 68 एनपी में पेश हुई। रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2021/1579 दिनांक 09.11.21 पेश हुई। शामिल मिसल हो। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण तलबी अप्रार्थीगण हेतु विचाराधीन हैं। नोटिस अप्रार्थीगण बाद तामील प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि चक 64 एनपी के खाता सं. 35 प.नं. 237/356 मु.नं. 28 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट मौके पर मु.नं. 27 के कि.नं. 5–6–15–16–25 पत्येक में दो बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता के रकबा पर पक्का खाला निर्माण हो चुका हैं। जो प्रयोग में लिया जा रहा हैं। तथा मु.नं. 28 कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025है. भूमि खाला दर्ज रिकार्ड हैं, परन्तु मौके पर उक्त रकबा पर कोई खाला नहीं है, खाला का रकबा खाली हैं नियमानुसर मु.नं. 28 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। धारा 251ए आरटीए के प्रावधानों अनुसार कोई अभिधारी अपनी जोतों तक पहुंच के लिए अन्य खातेदार की जोत में से नया रास्ता बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चाड़ा करने का आवेदन कर सकेंगे। परन्तु इस प्रकरण में जो मार्ग चाहा गया हैं वह भूमि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज हैं। तथा मु.नं. 27 की भूमि जो रिकार्ड में रास्ता दर्ज हैं पर खाला निर्माण हो चुका हैं तथा प्रयोग में लिया जा रहा हैं। अतः प्रकरण रास्ता स्वीकृति का नहीं होकर भूमि की किस्म परिवर्तन से संबंधित हैं। धारा 251ए के अन्तर्गत किसी खातेदार की भूमि में से मार्ग स्वीकृत किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता हैं। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.11.2021 को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Arpita Soni Date: 2022.02.21 17:24:36 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – 68 एनपी	

Scanned with CamScanner